रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240855 CG-DL-E-07122022-240855

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2 PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944 No. 32] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

वस्त्र मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

सं.46013/29/2015-स्था..—वस्त्र समिति के सदस्यों की अधिसूचना के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 25.03.2022 के समसंख्यक संकल्प का संदर्भ लें।

- 2. उपर्युक्त संकल्प की क्रम संख्या 7 में, "नियम 3 (1) (छ)" को "नियम 3 (2)" पढ़ा जाए।
- 3. दिनांक 25.03.2022 के समसंख्यक संकल्प में उल्लिखित अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd December, 2022

No. 46013/29/2015-Estt.—Reference is invited to this Ministry's Resolution of even number dated 25.03.2022 regarding notification of members of Textiles Committee.

2. In Sr. No.7 of the above mentioned resolution, the "Rule 3 (1) (g) " may be read as "Rule 3 (2)".

8101 GI/2022 (1)

3. The other terms and conditions mentioned in Resolution of even number dated 25.03.2022 shall remain unchanged.

GAURAV KUMAR, Economic Advisor